प्रेषक,   **Covid19/ई–मेल/अतिमहत्वपूर्ण**

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1 निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

2 निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।

3 निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

4 निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।

5 कुलसचिव,
उ0प्र0आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

6 कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

7 प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, सहारनपुर, बाँदा तथा बदायूँ।

8 प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
अयोध्या, बस्ती, बहराईच, फिरोजाबाद तथा शाहजहाँपुर।

9 प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेज, उ0प्र0।

संख्या–एम0ई0–1/2020/2077   लखनऊःदिनांकः 20 जून, 2020

विषय– कोविड–19 के दृष्टिगत मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न दि0 18.06.2020 की वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में अवगत कराना है कि कोविड–19 के दृष्टिगत मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न दि0 18.06. 2020 की वीडियो कान्फ्रेन्सिंग मे कतिपय महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश निर्गत किए गये है, जोकि निम्न प्रकार है :–

1. नान–कोविड इमरजेंन्सी के होल्डिंग एरिया में मरीजों की लम्बी वेटिंग न रखी जाय। इमर्जेन्सी होल्डिंग एरिया में वेटिंग समय 15 से 30 मिनट से अधिक न हो। इसके लिए होल्डिंग एरिया में आवश्यकतानुसार रेजिस्ट्रेशन काउन्टर्स बढाया जाय और कोविड–19 हेल्प डेस्क बनाये जाय। यहाँ पर आ रहे मरीजों को तत्काल ट्रू नेट से जांच कराकर अग्रेतर कार्यवाही की जाय। ट्रू नेट के जांच के आधार पर यदि किसी मरीज को आर.टी.पी.सी.आर. की जांच की आवश्यकता हो तो उस जांच के लिए प्राथमिकता का टैग लगाते हुए लैब भेजा जाय। आर.टी.पी.सी.आर. की रिपोर्ट में लगने वाले समय के दौरान मरीज को उपचार से वंचित न रखा जाय। ऐसे मरीजों में इमर्जेन्सी उपचार/ऑपरेशन के लिए पूरे आई.पी.सी. प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए तत्काल उपचार किया जाय।

2. इमरजेंन्सी अथा चिकित्सालय में कोविड–19 धनात्मक एवं कोविड–19 ऋणात्मक मरीजों के लिए अलग–अलग काउन्टर रखे जाय। जिसके लिए आवश्यक (Signage Display) किया जाय।

3. कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेनसिंग, मास्क पहन्ने, सफाई रखने आदि के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार होल्डिंग व पब्लिक एडरेस सिस्टम के माध्यम से निरंतर किया जाय।

4. काविड केयर सेन्टर के अन्दर की गतिविधियों की निगरानी हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जाय।

5. जिन मेडिकल कालेजों में नर्सिंग कालेज संचालित है, वहॉ की फाइनल सत्र के नर्सिंग छात्रों को तत्काल वापस बुलाते हुए कोविड–19 संबंधी ट्रेनिंग सुनिश्चित करायी जाय।

6. सभी कालेजों में मानकानुसार प्रत्येक आक्सीजन बेड पर आक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय तथा नोटिफाइड किए गये वेन्टीलेटर बेड्स पर वेंन्टीलेटर की संख्या सुनिश्चित की जाय। साथ ही क्रय किये गये नये वेंन्टीलेटर्स को क्रियाशील कराया जाय।

7. क्लीनिकल संवर्ग के डाक्टर्स जिनसे नॉन क्लीनिकल कार्य लिया जा रहा, को मरीजों के उपचार के दृष्टिगत क्लीनिकल कार्यो हेतु लगाया जाय।

8. कोविड–19 के बायोमेडिकल वेस्ट का कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एवं उसका उचित डिस्पोजल सुनिश्चित कर लिया जाय। सभी कालेजों में एक बायोमेडिकल वेस्ट नोडल नामित करते हुए बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल की सूचना COVID19BWM पर अपलोड किया जाय। इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

9. आपके अधीन सभी प्रकार की एम्बुलेंन्स को क्रियाशील रखा जाय व Proper Sanatise किया जाय।

10. सभी संवर्ग के हेल्थ केयर वर्कर को कोविड–19 संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। डेड बाडी डिस्पोजल निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप समय से सुनिश्चित किया जाय।

11. सभी मरीजों को शुद्ध, पोशटिक आहार एवं गुनगुना पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

12. आइशोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों के संबंध में उनके परिजनों को टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया जाय।

उपरोक्त वर्णित दिशा–निर्देशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक

संख्याः एम0ई0–1 / 2020 / तद्दिनांक /

प्रतिलिपि, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, अन0 2 को सूचनार्थ प्रेषित।

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक